

संख्या-553 /एक-10-2025

प्रेषक,

भानु चन्द्र गोस्वामी,

सचिव,

उ०प्र० शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,

आजमगढ़।

राजस्व अनुभाग-10

लखनऊ:

दिनांक:

28-05-2025

विषय:- सिविल मिस रिट याचिका संख्या-37635/2022 श्रीमती चन्द्रकला भारती बनाम उ०प्र० राज्य सरकार व अन्य में मा० उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.11.2024 के अनुपालन में स्व० रणधीर कुमार पुत्र श्री लौटन राम सफाई कर्मी के आश्रितों को ₹० 50.00 लाख की एकमुश्त अनुग्रह धनराशि दिये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-905/आपदा-2024-25/बजट दिनांक 23 जनवरी, 2025 एवं पत्र संख्या-1021/आपदा-2025-26 दिनांक 10 मई, 2025 तथा अपने पत्र संख्या-1049/आपदा 2024-25 दिनांक 20 मई, 2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- उल्लेखनीय है कि कोविड-19 की रोकथाम, उपचार व उससे बचाव कार्य में कार्यरत स्व० रणधीर कुमार, सफाई कर्मी, पंचायती राज विभाग, जनपद- आजमगढ़ के आश्रितों को ₹० 50.00 लाख की अहेतुक सहायता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में मा० उच्च न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या-37635/2022 श्रीमती चन्द्रकला भारती बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य में मा० उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 06.11.2024 को आदेश पारित किया गया है, जिसका प्रभावी अंश निम्नवत है:-

4. Counsel appearing on behalf of the petitioner relied a judgement of coordinate Bench of this Court in a bunch of petitions led by Kusum Lata Yadav v. State of U.P. and Others (Writ-C No.28249 of 2021 decided on July 25, 2022), wherein it was held as follows: "29. Now coming to the aspect as to whether the victims named in the chart set out hereinabove have died of Covid-19 or otherwise. Sri Ashok Khare has taken us through the apex court judgement passed in the case of Gaurav Kumar Bansal v. Union of India and others. We find that deaths having taken place in the hospitals on account of Covid-19 fully stand the test of certification. The argument that the medical reports mentioning cardiac failure or otherwise may not be attributed to Covid-19 does not impress the Court for the reason that Covid-19 is an infection that may result to the mortality of a person affecting any organ be it lungs or heart etc. Once the admission of deceased persons was on account of Covid-19, the resulting cause being heart failure or dysfunction of any other organ leading to death is immaterial and would nevertheless be treated as Covid-19 death. No other argument was advanced for our consideration, therefore, having

given our anxious consideration, we allow the claims in terms of our observations made hereinabove."

5. We are at consensus ad idem with the coordinate Bench of this Court on the principle that when the victim is suffering from Covid-19, and thereafter, there is a complication such as heart failure or dysfunction, brain hemorrhage or any other organ failure leading to death, the death of the victim would be attributable to Covid-19. In the present case, the husband of the petitioner has primarily died due to the infection of Covid-19 that resulted in brain hemorrhage. In light of the same, we are unable to countenance the view taken in the impugned order. Accordingly, the impugned order dated October 18, 2022 is quashed and set aside.

3- प्रश्नगत प्रकरण में मा० उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 06.11.2024 का अनुपालन न होने के दृष्टिगत उक्त मामले में याची श्रीमती चन्द्रकला भारती द्वारा मा० उच्च न्यायालय में अवमानना याचिका संख्या-1497/2025 श्रीमती श्रीमती चन्द्रकला भारती बनाम श्री नवनीत सिंह चहल, जिला मजिस्ट्रेट आजमगढ़ योजित की गयी है, जिसमें मा० उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 13.05.2025 को निम्नलिखित आदेश पारित किया गया है:-

The Principal Secretary, Government of Uttar Pradesh, Lucknow shall ensure that appropriate orders on the aforesaid recommendations of the District Magistrate, Azamgarh are passed within one week from today and in case, the recommendations made by the District Magistrate is accepted, the amount shall be disbursed to the applicant and credited in her account within one week thereafter. In any case, all proceedings shall be completed by 29.05.2025.

List again on 30.05.2025, on which date the District Magistrate, Azamgarh, the Principal Secretary, Government of Uttar Pradesh, Lucknow and the Under Secretary, Government of Uttar Pradesh, Lucknow shall file their compliance affidavits indicating full compliance of the order passed by the Writ Court or shall be personally present in the Court.

4- मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित उक्त निर्णय के अनुपालन में आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव/अनुरोध के क्रम में सम्यक विचारोपरान्त में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि स्व० रणधीर कुमार, सफाई कर्मी, पंचायती राज विभाग, जनपद- आजमगढ़ की कोविड-19 के संक्रमण से मृत्यु की दशा में मृतक कार्मिक के आश्रितों को रू० 50.00 लाख की एकमुश्त अनुग्रह धनराशि प्रदान किये जाने के लिए शासनादेश संख्या-249/एक-11-2020-04(जी)/2015-टी०सी०, दिनांक 11.04.2020, शासनादेश संख्या-411/एक-11-2021-04(जी)/2015-टी०सी०, दिनांक 22.06.2021 एवं शासनादेश संख्या-1394/एक-10-2021-33(08)/2021, दिनांक 26.07.2021 में दी गयी व्यवस्था के क्रम में वित्तीय वर्ष-2025-26 में रू० 50,00,000/- (रूपये पचास लाख मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन जिलाधिकारी, आजमगढ़ के निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं:-

1. जिस मद में शासन द्वारा धनराशि स्वीकृत की जा रही है, उसी मद में इस धनराशि का उपयोग किया जायेगा। अन्य किसी भी मद/विभागीय कार्य हेतु धनराशि का व्यय कदापि न किया जाये।
2. राजस्व अनुभाग-11 के शासनादेश संख्या-249/एक-11-2020-04(जी)/2015 टी.सी. दिनांक 11.04.2020, शासनादेश संख्या-411/एक-11-2021-4(जी)/2015 टी०सी० दिनांक 22 जून, 2021 एवं राजस्व अनुभाग-10 के शासनादेश संख्या-1394/एक-10-2021-33(08)/2021, दिनांक 26.07.2021 में निहित प्राविधानों/शर्तों के आलोक में जिलाधिकारी प्रत्येक प्रकरण का स्वयं सम्यक परीक्षण कर लेंगे तथा यह सुनिश्चित होने के उपरान्त ही सम्बन्धित कार्मिक की इयूटी कोविड-19 की

रोकथाम, बचाव अथवा उपचार में लगायी गयी थी एवं कोविड के संक्रमण से ही उसकी मृत्यु हुयी है। जिलाधिकारी पूर्ण संतुष्ट होने के उपरान्त ही सम्बन्धित कार्मिक के आश्रितों को अहेतुक सहायता धनराशि की स्वीकृति करेंगे।

3. स्वीकृत धनराशि आहरित करके बैंक खाते में नहीं रखी जायेगी, अपितु आपदा से प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों को राहत प्रदान किये जाने की शासन की शीर्ष प्राथमिकता के दृष्टिगत स्वीकृत की जा रही धनराशि का पारदर्शी एवं त्वरित ढंग से वितरित किये जाने हेतु वित्त विभाग के शासनादेश सं0-ए-1-803/दस-2013-10(28)/2011, दिनांक 10.10.2013 ( उक्त शासनादेश पूर्व में सभी मण्डलायुक्त/जिलाधिकारीगण को प्रेषित किया जा चुका है, जिसे राहत की वेबसाइट पर देखा एवं प्राप्त किया जा सकता है) में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सम्बन्धित जनपदीय कोषागार से सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ई-पेमेन्ट के माध्यम से ही भुगतान सुनिश्चित किया जाये।
  4. उक्त स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा-जोखा रखा जाये तथा माह के अंत में जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा और मदवार मासिक व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर अगले माह की 05 तारीख तक उपलब्ध कराने के साथ ही उक्त तिथि तक इसे राहत आयुक्त की वेबसाइट <https://rahat.up.nic.in> पर फीड करवाना सुनिश्चित किया जाये।
  5. स्वीकृत धनराशियों के उपभोग/समर्पण के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-2/1-11-2013-रा0-11, दिनांक 04.03.2013 का अनुपालन किया जायेगा। शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि में से यदि कोई बचत/अवशेष की स्थिति बनती है, तो उसे वित्तीय वर्ष के समापन/दिनांक 31 मार्च, 2026 से पूर्व शासन को नियमानुसार समर्पित कर दिया जाय।
  6. उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369-एच के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या-42 आई में शासन को उपलब्ध कराया जाये।
  7. व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाये।
- 5- स सम्बन्ध में होने वाला व्यय रू0 50,00,000/- (रूपये पचास लाख मात्र) वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-51 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत-05-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड-800-अन्य व्यय-06-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय-09-राज्य सरकार द्वारा घोषित अन्य आपदाओं हेतु स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय-42-अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।
- 6- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय जाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

Digitally signed by  
(भन्तु चन्द्र गोस्वामी)  
ANURACHANDRA GOSWAMI  
Date: 28-05-2025 11:45:36  
सचिव

**संख्या-553(1)/एक-10-2025 तददिनांक**

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, 30प्र0, प्रयागराज।
- 2- मुख्य स्थायी अधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद ।
- 3- सम्बन्धित मण्डलायुक्त।
- 4- राहत आयुक्त, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
- 5- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, 30प्र0, लखनऊ।
- 6- सचिव/नोडल अधिकारी, बजट आवंटन (ई- बजट), राजस्व विभाग 30प्र0 शासन ।
- 7- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त संगठन, 30प्र0।
- 8- सम्बन्धित कोषाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी ।
- 9- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5 ।
- 10- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से ,

(भानु चन्द्र गोस्वामी)  
सचिव।

## Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2025-2026  
आवंटन दिनांक-28/05/2025

प्रेषण संख्या:- 553  
आवंटन आदेश संख्या:- 001-553  
अनुदान संख्या:- 51 राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)(वित्तीय वर्ष 2025-2026 का आवंटन)  
लेखाशीर्षक:- 2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत(आयोजनेत्तर-मतदेय)  
05 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड  
800 - अन्य व्यय  
06 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड से व्यय  
09 - राज्य सरकार द्वारा घोषित अन्य आपदाओं हेतु स्टेट डिजास्टर रिस्पांश फण्ड से व्यय

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		42-अन्य व्यय	योग
1	आजमगढ-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	5000000 27000000	5000000 27000000
	योग	वर्तमान प्रगामी	5000000 27000000	5000000 27000000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया पचास लाख  
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया दो करोड़ सत्तर लाख

(संतोष कुमार)  
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी